

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 308] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 15, 1977/आषाढ़ 24, 1899

No. 308] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 15, 1977/ASADHA 24, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th July, 1977

S.O. 561(E)—Whereas the Government of Assam have intimated an inadvertent error in the description of 2-Parkandi and 4-Karimganj South assembly constituencies mentioned in Part B. of Schedule IV of the Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 1976, in respect of the State of Assam,

And Whereas the Commission considers it necessary and expedient to make necessary correction in the description of the said constituencies ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 9(a) of the Representation of the People Act, 1950, the Election Commission hereby makes the correction in the said Schedule of the Order as follows —

At page 58, in item (2) of the Appendix, the entry “287. Dewali F V.” shall be deleted.

[No 282/1/AS/77]

By Order, ”

A. N. SEN, Secy

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 1977

का० आ० 561(अ) —आसाम राज्य सरकार ने, आसाम राज्य के बारे में संसदीय और विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1976 की अनुसूची-4 के भाग ख में उल्लिखित 2. पाथरकड़ी और 4 करीमगंज दक्षिण विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के वर्णन में अन्तर्वधानता से हुई त्रुटि की सूचना दी है ;

और, निर्वाचन आयोग उक्त निर्वाचन-क्षेत्रों के वर्णन में आवश्यक सुधार करना आवश्यक और समीचीन समझता है ;

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 9(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह आयोग उक्त आदेश की उक्त अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करता है :—

पृष्ठ 65 पर परिशिष्ट की मद (2) में से “28—देवाती एफ०बी०” प्रविष्टि हटा दी जायेगी ।

[स० 282 1, आसाम, 77]

आदेश से;

ए० एन० सैन, सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिनटो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977